ISSN: 2277-7857

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

वर्ष: 19, अंक: 3, जनवरी-मार्च 2026

SJIR 2025 = 7.680

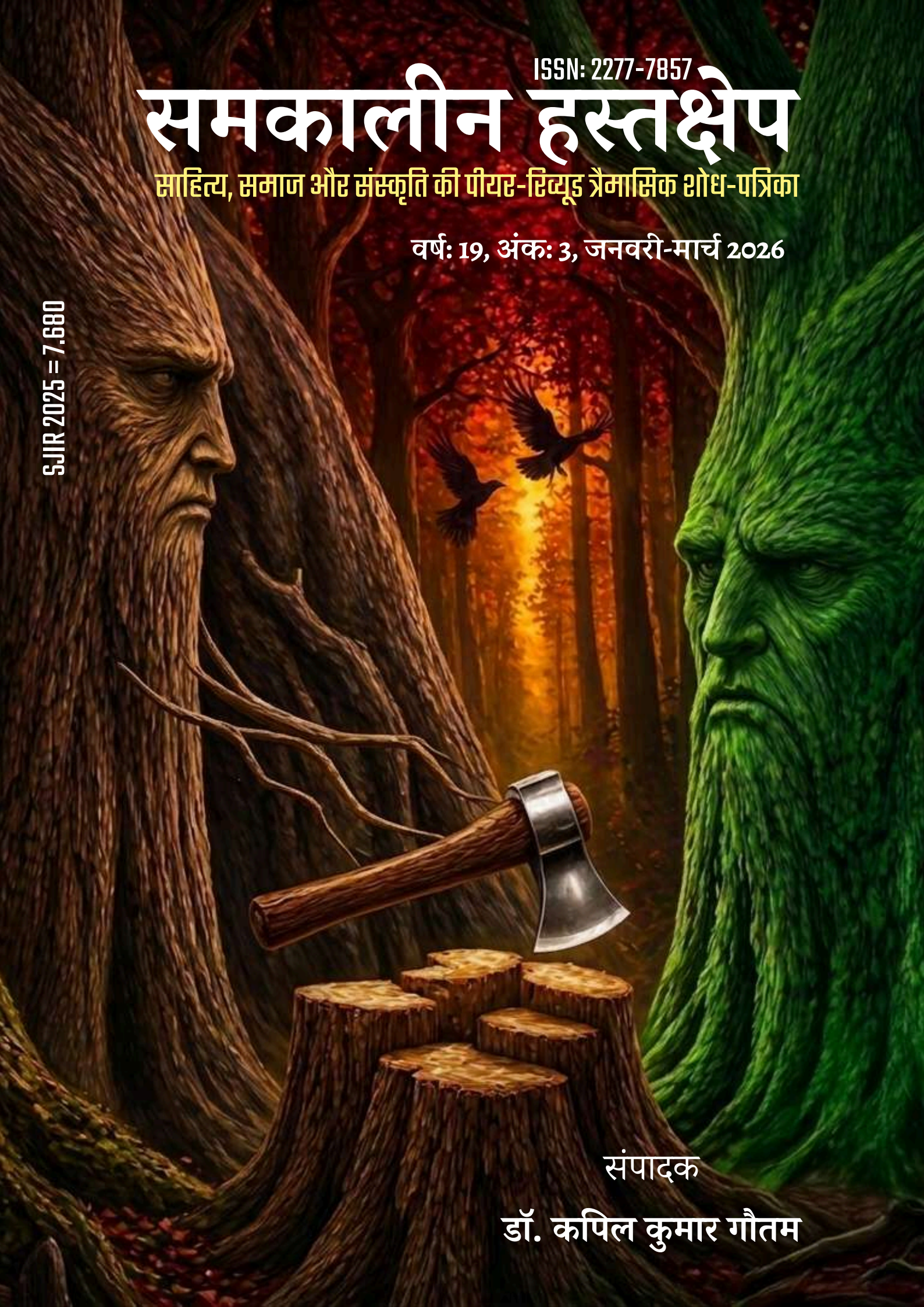

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम

वर्ष: 19, अंक: 3, जनवरी-मार्च 2026

समकालीन हस्तक्षेप

साहित्य, समाज और संस्कृति की पीयर-रिव्यूड त्रैमासिक शोध-पत्रिका

‘समकालीन हस्तक्षेप’ त्रैमासिक शोध-पत्रिका में प्रकाशित शोध-पत्रों/ लेखों के माध्यम से व्यक्त किये गए विचार और स्थापनाएं लेखक के अपने हैं। उनके विचार और स्थापनाओं से संपादक मंडल अथवा प्रकाशक सहमत हों, यह जरुरी नहीं है। शोध-पत्रों/ लेखों में व्यक्त विचारों और स्थापनाओं के लिए सम्बन्धित लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे। विवाद की स्थिति में सभी मामले केवल रायसेन न्यायालय (मध्य प्रदेश) के अधीन होंगे।

इस शोध-पत्रिका के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। समीक्षा, लेखों तथा शोध-पत्रों में उद्धरण के अतिरिक्त, प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश का अनुवाद, प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रोनिक माध्यम से पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सकता। केवल सम्बंधित शोध-पत्र के लेखक ही अपने शोध-पत्र को अकादमिक तथा व्यक्तिगत उपयोग करने हेतु निर्बाध रूप से स्वतंत्र होंगे।

© **Samkalin Hastakshep**

January - March 2026

Published by

INDIAN PUBLICATIONS
MIG - 108, Dr Hedgewar Colony,
Sanchi, Raisen, Madhya Pradesh
PIN – 464661 (India)

Email: ISSN22777857@gmail.com
WhatsApp message: 09431109143
Website: www.hastakshep.co.in
www.facebook.com/hastakshep
www.instagram.com/hastakshep

संपादक

डॉ. कपिल कुमार गौतम
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
संघटक राजकीय महाविद्यालय, मीरापुर
बांगर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246721

प्रबंध-संपादक

शेषनाथ वर्णवाल
कार्यकारी प्रबंधक, इंडियन पब्लिकेशन्स,
एम.आई. जी. - 108, हेडगेवार कॉलोनी,
साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश – 464661

उप-संपादक

डॉ. अलका धनपत
पूर्व-विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग,
स्कूल ऑफ़ इंडियन स्टडीज़, महात्मा गाँधी
इंस्टिट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मॉरीशस,
मॉरीशस

डॉ. दीनानाथ
प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सीएमपी डिग्री
कॉलेज, इलाहबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

डॉ. रजनी बाला अनुरागी
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. मोहन लाल चढ़ार
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं
पुरातत्त्व विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय
जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक,
मध्य प्रदेश

डॉ. राहुल सिद्धार्थ
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन
विश्वविद्यालय, साँची, मध्य प्रदेश

संपादक मंडल सदस्य

डॉ. प्रवीण कटारिया
असिस्टेंट प्रोफेसर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश

डॉ. हंसा दीप
लेक्चरार हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ टोरंटो, किंग्स कॉलेज सर्किल, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा

डॉ. उमाशंकर कौशिक
असिस्टेंट प्रोफेसर, के.जे. सोमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ धर्मा स्टडीज, पूर्वी मुंबई, महाराष्ट्र

डॉ. आमिर खान अहमद
असिस्टेंट प्रोफेसर, हरी-गायत्री दास महाविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम

डॉ. अनीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. विकास कुमार पाठक
समन्वयक, अनुवादिनी फाउंडेशन, ए.आई.सी.टी.ई., शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डॉ. शरद पंडरीनाथ सोनवने
असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. प्रतीक सागर
असिस्टेंट प्रोफेसर, शारदा स्कूल ऑफ़ डिजाईन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ग्रेटर नॉएडा

डॉ. अवधेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), हिंदी विभाग, डॉक्टर हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

डॉ. सुनीता गुरुंग
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. लेखराम सेलोकर
पी-एच. डी. (बौद्ध अध्ययन), आनंद बुद्ध विहार, समता नगर, नागपुर, महाराष्ट्र

डॉ. लोकेश चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर, योग विज्ञान विभाग, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, निंबाहेड़ा, राजस्थान

डॉ. अमित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, शिवाजी कॉलेज, राजा गार्डन, नई दिल्ली

डॉ. विपिन कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, श्री बाबू कलीराम राकेश राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखंड

डॉ. संदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ़ लीगल स्टडीज, मदरहूड विश्वविद्यालय, रूडकी, उत्तराखंड

डॉ. प्रत्युष प्रशांत
पी-एच.डी., सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. हिमांशु प्रभाकर
पी-एच.डी., समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

अनुक्रम

वर्ष 19, अंक 3, जनवरी-मार्च 2026

संपादकीय

1.	सिमोन द बोउवार के उपन्यास 'द मैंडरिन्स' की प्रासंगिकता	डॉ. वंदना चौबे	8-12
2.	आदिवासी समाज और साहित्य में प्रतिरोध के स्वर	डॉ. अभिषेक दांगी	13-15
3.	हिन्दी दलित आत्मकथाओं में आत्मसम्मान और अस्मिता का विमर्श	रविंद्र कुमार गौतम, प्रो. शेफाली चतुर्वेदी	16-20
4.	भरहुत स्तूप की वेदिकाओं में सामाजिक संरचनाओं का परिदृश्य पुरातात्विक अध्ययन	सुशील कुमार बौद्ध	21-25
5.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भारत बोध और भारतीय भाषाएं	डॉ. जितेंद्र कुमार यादव	26-28
6.	विद्यालयी बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों का योगदान: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	डॉ. नेहा कुमारी	29-36
7.	आखिरी खुन खुद्दह ? आधुनिक मेघालय में उत्तराधिकार प्राप्त करने वाली बेटियों की बदलती भूमिकाएं	गौरव चौधरी	37-41
8.	आदिवासी समाज का सांस्कृतिक अनुशीलन	ओंकार प्रसाद	42-46
9.	केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में चित्रित राजनीति का स्वरूप	सौरव	47-51
10.	'सरोज स्मृति' काव्य में निराला की वात्सल्य रस योजना	सौरभ सिंह	52-56
11.	दलित कविता की भाषा और शब्द-विन्यास का विश्लेषण	डॉ. प्रांजल कुमार नाथ	57-61
12.	स्मृति, समय और जटिल संबंधों की त्रिकोणीय संरचना– *एक चिथड़ा सुख* (निर्मल वर्मा)	डॉ. रंजीत कौर	62-66
13.	जैनेंद्र कुमार की कहानियों में मानवीय संबंध पर विमर्श	पवन कुमार तिरोलकर, डॉ. जया सिंह	67-70
14.	मध्यकालीन स्त्री जीवन का अध्ययन: संयोगिता के संदर्भ में	फरहत परवीन	71-74
15.	भारतीय समाज में नारी की बदलती भूमिका : समस्याएं एवं समाधान का विश्लेषण	डॉ. रम्भा रत्नाकर	75-78
16.	हिन्दी सिनेमा: साहित्य और समाज का अंतर्संबंध	डॉ. गंगाधर रामडगे	79-81
17.	रवीन्द्रनाथ के 'मुक्तधारा' नाटक में यांत्रिक मुक्तबाजारी सभ्यता और किसान	डॉ. श्रद्धा सिंह	82-86

18.	सांस्कृतिक संचरण और नाट्य परंपराएँ: दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रभावों का अध्ययन	शशांक शेखर राय	87-91
19.	समकालीन कविता में अभिव्यक्त चिंतन	रिमझिम प्रिया	92-96
20.	कबीर का ब्रह्म-चिंतन: प्रक्रिया और राम की प्रासंगिकता	ऐपिन सिंह	97-101
21.	भारत में भाषाई सामंजस्य स्थापना के प्रयास और कार्यान्वयन की चुनौतियाँ	कौसर साबिदा सुल्ताना	102-106
22.	प्रवासी लेखक अभिमन्यु अनत की कहानियों में वर्णित समस्याएं	नंदिनी कुमारी, प्रो. इंदु यादव	107-110
23.	उतराखंड की लोककलाओं का अध्ययन	सोनिया बहुगुणा	111-115
24.	निरंजनी संत कवियों के काव्य में आध्यात्मिक दर्शन चिंतन	प्रियंका शर्मा	116-122
25.	उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024: ऑक्सी होम्ज़ सोसायटी के संदर्भ में एक समीक्षा	डॉ. प्रदीप कुमार	123-128
26.	हड़प्पा सभ्यता के पतन के सिद्धांत: एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन	रत्नेश कुमार	129-132
27.	गढ़वाली लोकगाथाओं में वर्णित सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन मूल्य	प्रियंका	133-136
28.	दलितों का स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्कार और समावेशन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ. सुरेश प्रसाद अहिरवार	137-141
29.	भूमंडलीकरण, मीडिया और स्त्रीवाद	नेहा यादव	142-146
30.	जगदीश चन्द्र के उपन्यासों में जाति विभेद एवं पीड़ा	डॉ. प्रीति	147-149
31.	कबीर का मानवतावाद	डॉ. नीरज बाला	150-153
32.	'दृश्य से अदृश्य का सफ़र' उपन्यास में कोरोना काल की विभीषिका का अन्वेषण	डॉ. योगेन्द्र सिंह	154-156
33.	डॉ. रामविलास शर्मा की आलोचक दृष्टि और लोकजीवन	डॉ. चित्रा गर्ग	157-159
34.	पुराणों में प्रतिबिंबित दक्ष यज्ञ विध्वंस कथा का स्वरूप: एक अनुशीलन	डॉ. पूनम पाण्डेय	160-164
35.	सुधा ओम ढींगरा की कहानियों में स्त्री-पुरूष संबंध	चित्रा	165-167
36.	मोहम्मद ताहिर की कहानियों में मुस्लिम समाज एवं जीवन दर्शन	डॉ. कु. गीता	168-170
37.	व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण में संयुक्त परिवार की भूमिका	किरण बाला कराड़ा, डॉ. भेरुलाल मालवीय	171-173

संपादक की कलम से...

भारतीय समाज अपनी विविधता और जटिलता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जटिलता के भीतर एक कठोर सच्चाई भी छिपी है जिसे 'सामाजिक असमानता' के नाम से जाना जाता है। सदियों से चली आ रही जाति-व्यवस्था ने समाज के एक बड़े वर्ग, विशेष रूप से दलित समुदाय, को हाशिए पर धकेल कर रखा है। आज जब हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि समानता और न्याय के मूल्य हमारे सामाजिक जीवन में गहराई तक स्थापित हो चुके होंगे। किंतु वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। दलित समाज ने पिछले कुछ दशकों में शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह प्रगति स्वतःस्फूर्त नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संवैधानिक प्रावधानों और नीतिगत हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरक्षण व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही है, जिसने दलित समुदाय को मुख्यधारा में आने का अवसर प्रदान किया। फिर भी, यह कहना कि अब दलित समाज पूरी तरह समान स्थिति में आ चुका है, वास्तविकता से आंखें मूंदने जैसा होगा।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के साथ भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भले ही प्रवेश बढ़ा हो, लेकिन गुणवत्ता, संसाधनों और अवसरों की समानता अब भी एक चुनौती बनी हुई है। उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित संस्थानों में दलितों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। रोजगार के क्षेत्र में भी उन्हें अक्सर सीमित अवसर और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक बराबरी अभी अधूरी है। ऐसे में आरक्षण की आवश्यकता को केवल एक नीति के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के एक साधन के रूप में समझना होगा। आरक्षण केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई का प्रयास है, जिसने एक पूरे समुदाय को सदियों तक अवसरों से वंचित रखा। यह व्यवस्था दलित समाज को प्रतिस्पर्धा के उस स्तर तक लाने का प्रयास करती है, जहां वे समान आधार पर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। कुछ वर्गों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आरक्षण अब समाप्त कर देना चाहिए या इसे केवल आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। यह तर्क सतही रूप से आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें सामाजिक यथार्थ की गहराई का अभाव है। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक भेदभाव दो अलग-अलग आयाम हैं। दलित समुदाय को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना इस जटिल समस्या को सरल बनाकर देखने जैसा है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण को स्थायी समाधान के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में देखा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि एक समय ऐसा आए, जब समाज में वास्तविक समानता स्थापित हो जाए और आरक्षण की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाए। लेकिन जब तक सामाजिक संरचनाएं पूरी तरह समावेशी और न्यायपूर्ण नहीं बन जातीं, तब तक आरक्षण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि आरक्षण के साथ-साथ अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक जागरूकता, और भेदभाव के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई- ये सभी पहलू मिलकर ही एक समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं। केवल आरक्षण के सहारे सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं होगा।

अंततः, यह समझना होगा कि दलित समाज की उन्नति केवल उस समुदाय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के नैतिक और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब तक समाज का एक वर्ग पीछे रहेगा, तब तक समग्र विकास अधूरा रहेगा। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते समय हमें इसे एक अधिकार, एक न्यायसंगत व्यवस्था और एक मानवीय पहल के रूप में देखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों, जहां हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। यही एक सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला होगी।

(डॉ. कपिल कुमार गौतम)